संख्या- 18/2018/415/59-2-2018-10(खा)/2017

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 17 अप्रैल, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय के अधिष्ठान व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-10/कु.उ.नि.-1209-बजट-2018-19, दिनांक-13-04-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय उ0प्र0 को निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 49.29 लाख (रूपये उनचास लाख उनतीस हजार मात्र) में से रू0 46.73 लाख (रूपये छियालिस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न फॅाट/विवरण के अनुसार व्यय करने हेतु वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से मासिक आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा आहरित की जायेगी।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, साथ ही आहरण-वितरण अधिकारी उक्त वित्तीय स्वीकृति की धनराशि व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रत्येक माह सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत निर्धारित सुंसगत मानक मदों में व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को समय-समय पर प्रतिनिधानित अधिकारों/आदेशों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 18/2018/415(1)/59-2-2018-10(खा)/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- उप निदेशक, एन0आई0सी0 (प्रशासनिक भवन) ई-फलोर छठा तल योजना भवन, लखनऊ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
8- उप निदेशक, एन0आई0सी0 (प्रशासनिक भवन) छठा तल, योजना भवन, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 18/2018/415/59-2-2018-10(खा)/2017, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-5 के लेखा शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-कुटीर और ग्रामीण उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षो में अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों की पूर्ति हेतु निम्न विवरण के अनुसार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि का विवरण।

(धनराशि रूपये लाख में)

मानक मद	मद का विवरण	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
01	वेतन	35.48
02	मजदूरी	0.10
03	मंहगाई भत्ता	3.55
04	यात्रा व्यय	0.30
06	अन्य भत्ते	1.76
07	मानदेय	0.10
08	कार्यालय व्यय	0.30
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.20
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50
13	टेलीफोन पर व्यय	0.30
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	1.50
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00
42	अन्य व्यय	0.10
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासगिंग व्यय	0.20
45	अवकाश यात्रा व्यय	0.15
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.42
49	चिकित्सा व्यय	0.75
51	वर्दी व्यय	0.02
	योग	**46.73**

(रू0 छियालिस लाख तिहत्तर हजार मात्र)

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।